THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) The Government of National Capital Territory of Delhi has appointed, on July 27, 1995, a single-member Inquiry Commission under the Commissions of Inquiry Act, 1952 headed by a retired Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, Smt. Leila Seth to ascertain all relevant facts and circumstances leading to the death in judicial custody of Rajan Pillai. The Commission has been asked to submit its report in 3 months.

The terms of reference of the Commission are as under:—

(a) to ascertain the circumstances and sequence of events including deterioration in the physical condition of Shri Rajan Pillai leading to his death;

(b) to ascertain the adequacy of the treatment given to him by the Jail Medical Officer and doctors in Deen Dayal Upadhyay Hospital in the context of the history of his past illness;

(c) to ascertain the adequacy and promptness of response of the doctor(s) and other authorities both in the Jail and DDU Hospital when the health of Shri Rajan Pillai deteriorated;

(d) to ascertain whether there was any negligence on the part of any authority and to fix responsibility for the same;

(e) to suggest remedial measures in connection with medical care for prisoners in jail;

(f) any other matter relevant to the incident.

**Time Limit to provide Information Regarding Passports**

308. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the time limit fixed by Government regarding furnishing the necessary information of passports to be provided to the Indian Embassy's Passport offices abroad as demanded by them from time to time;

(b) the minimum and maximum time taken by Government to provide such information to the Indian Embassies abroad;

(c) whether some such cases are pending with Government in this regard;

(d) if so, what effective action has so far been taken by Government in this respect; and

(e) by when the same is likely to be cleared by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Government have not stipulated any time limit for pending replies in respect of references made by Indian missions abroad for information relating to passport matters as these matters also involve Ministries and agencies other than the Ministry of External Affairs.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) Government have taken several steps in this regard and are presently engaged in the process of computerising the relevant data base, which would further facilitate in reducing the existing pendency, as well as disposal of future references expeditiously.

**सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना और उसका आधुनिकीकरण करना**

309. श्री सोमपाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की विभीषिका को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है;

(ख) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने और पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह व्यवस्था कब से पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दी जाएगी; और

(घ) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दिल्ली यातायात पुलिस की यातायात नियंत्रण एवं दुर्घटना निवारण प्रणाली को समय-समय पर अभियान के रूप में शुरू करने की बजाय स्थायी और नियमित रूप से लागू कर दिया जाये?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद)**: (क) दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से दिल्ली यातायात पुलिस नियमित रूप से दोषी, वाहनों/चालकों के खिलाफ विशेष जांच और अभियोजन अभियान चलाती है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल हैं—रडार गन द्वारा वाहनों की गति की जांच करना, सड़क सुरक्षा साहित्य वितरित करना; महत्वपूर्ण चौराहों पर जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से यातायात विनियमों की घोषणा करना, चालकों को प्रशिक्षण देना, अबाध यातायात परिचालन पद्धति शुरू करना, दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात सिग्नल/ब्लिंकर लगाना और बीच की पटरियों में आर-पार जाने की जगहों को बन्द करना, आदि।

(ख) और (ग) दिल्ली की सड़कों पर बढ़े हुए यातायात की प्रभावी व्यवस्था के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने अत्याधुनिक उपकरण जैसे क्लोज सर्किट टी०वी० सिस्टम, रडार गनें और एक पैरिस्कोप वैन प्राप्त किए हैं। क्लोज सर्किट टी०वी० सिस्टम का प्रयोग 1978-79 में शुरू किया गया था और 1993-94 में इसका उन्नयन किया गया ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को बेहतर ढंग से देखा जा सके, इस समय इसके पांच कैमरे काम कर रहे हैं। रडार सिस्टम 1986 में शुरू किया गया था, 1993 से प्रिंटर सुविधा वाले नए रडार प्रयोग किए जा रहे हैं। पैरिस्कोप वैन, पिछले वर्ष से प्रयोग में लाई जानी शुरू की गई है।

दिल्ली पुलिस की प्रशासनिक इकाइयों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया एक हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनकी जांच, गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

(घ) दिल्ली यातायात पुलिस ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत यातायात नियमों का प्रवर्तन, जनता को जानकारी देना, सड़क सुरक्षा उपाय और इंजीनियरी कार्य जिनमें यातायात संकेतों, मार्ग विभाजकों का निर्माण, चौराहों का डिजाइन तैयार करना, सड़कों पर चिह्नांकन करना आदि कार्य करने का विचार है ताकि दिल्ली में यातायात की दशा सुधारी जा सके।

**Changes in Existing Laws to Check Atrocities on Women**

310. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering changes in existing laws to check atrocities on women in the country;

(b) if so, what action has been taken by Government in that regard; and

(c) the time by which suitable changes are expected to be brought out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (c) Changing of laws is a continuous process. While it is felt that adequate legal provisions exist to check atrocities against women, the Government is alive to the needs of the changing society and has been continuously modifying and amending the existing legislation as and when required to make the same more effective and stringent. The Government also feels that empowerment of women by way of schemes for making them economically strong as well as by involvement of all sections of society, in watching their interest, is as important as modifying legislation concerning them.

**दिल्ली और लखनऊ में टेलीफोन हेतु प्रतीक्षा सूची**

311. **श्री गोविन्द राम मिरी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और लखनऊ के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों की प्रतीक्षा सूचियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी प्रतीक्षारत आवेदकों को वर्ष 1995 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?